तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4241/2006/नागौर** **भंवर सिंह बनाम मोहब्बतसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2022	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक अपीलांट । श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पो0। **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर दिनांक 15.06.2006 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने परीक्षण न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माडपुरा के खसरा नं0 1230, 1227, 1226, 1229, 78 तथा ग्राम बैराथल खुर्द के खसरा नं0 109 पक्षकारान की शामलाती आराजी है जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है उक्त आराजी पैतृक संपत्ति है जिसका भौतिक रूप से अलग–अलग विभाजन करना आवश्यक है। अतः वादग्रस्त आराजी का बाई मीट्स एंड बाण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाकर अलग–अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने दावा व जवाबदावे के आधार पर दो तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2004 से वादी का वाद डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2006 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4241/2006/नागौर** **भंवर सिंह बनाम मोहब्बतसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम माडपुरा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 1230,1227,1226,1229 तथा ग्राम बैराथल कलां के खसरा नं0 78 एवं ग्राम बैरायल खुर्द के खसरा नं0 109 के काबिज खातेदार स्व0 हेमसिंह थे जिनके पांच पुत्र देवी सिंह (जिसके वारिसान अपीलांट्गण–प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 है), चैन सिंह (जिसके वारिसान वादी–रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 है), लाल सिंह (जिसके वारिसान रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 7 व 10 व लगायत 13 है), भोजराज सिंह (रेस्पो0 सं0 8) एवं मनोहर सिंह (रेस्पो0 सं0 9) थे जिसमे से स्व0 हेमसिंह के जीवनकाल में ही स्व0 लाल सिंह को कल्याण सिंह ने गोद पुत्र के रूप में गोद लिया था तथा मनोहर सिंह अपने काका संवत सिंह के गोद चले गए। इस कारण उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में स्व0 देवी सिंह, स्व0 चैन सिंह एवं भोजराज सिंह का हक एवं अधिकार शेष रहा तथा उक्त तीनों भाई 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काबिज काश्त हुए । इस कारण वादग्रस्त भूमि में अपीलांट्गण–प्रतिवादीगण एवं वादीगण का 1/3–1/3 हिस्सा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्य को अनदेखा कर के अपीलांट/प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के 1/5 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार होना मान कर के प्रथम दृष्टया ही मनमाने तौर पर गैर–कानूनी निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0 ने जो वाद पेश किया है उसमें ना तो हेमसिंह की मृत्यु का वर्णन है तथा ना ही मनोहर सिंह व लाल सिंह के गोद जाने का वर्णन है। दोनो ही अपने पिता के जीवनकाल में ही गोद चले गये थे अतः आराजी में कोई हिस्सा हक नहीं रहा। जवाबुल जवाब में हेम सिंह की मृत्यु सन् 1951 में तथा लाल सिंह व मनोहर सिंह का संवत् 2015–2016 में गोद जाना बताया है। गोदनामे में हेमसिंह ने साख डाली थी। हेमसिंह के देहांत बंटवारे एवं पिता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4241/2006/नागौर** **भंवर सिंह बनाम मोहब्बतसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के जीवनकाल में गोद जाने या नहीं जाने बाबत कोई तनकी नहीं बनाई गई थी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आदेश 13 नियम 2 सी0पी0सी0 के तहत रिबट्ल का मौका अपीलांट को नहीं दिया गया तथा आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र भी गलत रूप से स्वीकार किया है। वादी के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य भी वाद की ताईद नहीं करते है। इस स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय था जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बहाल रखने की विधिक त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि लाल सिंह एवं मनोहर सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद संवत 2015–2016 में गोद चले गये थे जबकि लालसिंह की मृत्यु संवत 2008 में ही हो गई थी। ऐसे में उसकी संपत्ति में प्रत्येक पुत्र का 1/5 हिस्सा था जो दर्ज रिकॉर्ड है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय में दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अपने वाद को साबित किया है। साख डालने वाला व्यक्ति हेमसिंह अन्य व्यक्ति था। परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम की गई दोनों तनकीयों में सभी मुद्दे निहित है। परीक्षण न्यायालय के किसी भी आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने आपत्ति नहीं की है। संवत 2015 से सैट्लमेंट की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण नामांतरकरण देरी से भरा गया है। अपीलांट द्वारा ना तो नामांतरकरण की अपील पेश की गई और ना ही खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया गया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधिसंगत एवं न्यायसंगत बताते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष क विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4241/2006/नागौर** **भंवर सिंह बनाम मोहब्बतसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

‘‘ विवादित आराजी पुश्तैनी है जो पुर्व में हेम सिंह की खातेदारी में थी तथा वाद में उसके पुत्रों के नाम दर्ज हुई है। जहां तक हेम सिंह की मृत्यु का प्रश्न है वादी के सभी गवाह वर्ष 1951 यानि संवत 2008 में मृत्यु होना बताते है। जबकी लाल सिंह के पक्षकार गोदनामा सं0 1959 का हैं। गोदनामे पर एक साख हेमसिंह की डाली हुई है। रेस्पो0 उक्त साख अन्य हेम सिंह के द्वारा डाली जानी बताते है जबकी अपीलांट लाल सिंह के पिता की तरफ से साख बताते है। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालयों में ना तो पक्षकारों की प्लीडिंग है और ना ही ऐसे साक्ष्य है। वादी के समस्त गवाह हेम सिंह की मृत्यु सं0 2008 में होना बताते है। पत्रावली पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे साबित हो कि हेमसिंह की मृत्यु संवत 2008 में नहीं हुई हो एवं बाद में हुई हो। जहां तक जमाबंदी व खसरा गिरदावरीयों का प्रश्न है पक्षकारों की लापरवाही के कारण समय पर नामांतरकरण नहीं होता तथा इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता है कि नामांतरकरण के तुरंत पहले ही हेम सिंह की मृत्यु हुई हो। राजस्व रिकॉर्ड खसरा नं0 78, 109 में पांचों पुत्रों का तथा खसरा नं0 1227 से 1230 में चैन सिंह, देवी सिंह व लाल सिंह का नाम दर्ज हुआ है जिसे अपीलांट ने कभी चैलेंज नहीं किया। ना तो नामांतरकरण की अपील पेश की गई एवं ना ही घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया। ऐसे में पुरानी प्रविष्ठियों का सही होने की अवधारणा ली जाएगी तथा प्रविष्ठियां गलत है तो साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर होगा। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ’’

इस प्रकार प्रकरण के संपूर्ण विवेचन, विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियां पक्षकारों की पुश्तैनी व वंशानुगत भूमियां निर्विवाद रूप से सिध्द है मृतक हेम सिंह जो पक्षकारों का पिता व मूल खातेदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4241/2006/नागौर** **भंवर सिंह बनाम मोहब्बतसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	था उसका पत्रावली के रिकॉर्ड पर पृथक से कोई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। परंतु पत्रावली पर प्रस्तुत वादी पक्ष के गवाहों ने स्वयं ने हेम सिंह की मृत्यु वर्ष 1951 अर्थात् संवत 2008 में होना स्वीकार किया है। जहां तक लाल सिंह के पक्ष में किये गोदनामा संवत 1959 का है, गोदनामे पर एक साख हेम सिंह के होने का प्रश्न है, वह कौनसा हेम सिंह है यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित व सिध्द नहीं होता है। अपीलांट द्वारा इस प्रकार की कोई प्लीडिंग व साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं हुए है, जिससे यह सिध्द हो सके कि हेम सिंह उनका पिता ही है। जबकि पत्रावली के रिकॉर्ड पर प्रस्तुत समस्त गवाह हेम सिंह की मृत्यु संवत 2008 यानी वर्ष 1951 में होना बताते है। जमाबंदी व खसरा गिरदावरी में अंकन का समय पर अद्यतन नहीं किये जाने के कारण पूर्व नाम पूर्वानुसार चलते रहते है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हेम सिंह के मृत्यु उपरांत उसके नामांतरकरण व उसके फलस्वरूप राजस्व रिकॉर्ड में पांच पुत्रों के अंकन को कहीं भी चुनौती देकर अपास्त नहीं करवाया इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा परीक्षण न्यायालय में किसी प्रकार का कोई काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके आधार पर उन्हें अनुतोष प्रदान किया जा सके। यहां यह भी महत्वपुर्ण है कि विवादित भूमियों में खातेदार शेष दोनों भाईयों ने सहमति का इकबाली दावा प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपुर्ण है कि जो गोदनामा निष्पादित किया है वह मूल पिता की मृत्यु के उपरांत किया जाना सिध्द होता है। इस कारण मूल पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त खातेदारी अधिकार को समाप्त किया जाना विधिसंगत नहीं होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है, जो विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 16.02.2004 व 15.06.2006 बहाल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/4241/2006/नागौर** **भंवर सिंह बनाम मोहब्बतसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य** **(राजेश्वर सिंह)** **अध्यक्ष**	